स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक...157...,दिनांक..25..../...03.../2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

सभी अंचलाधिकारी,
किशनगंज जिला (कोचाधामन को छोड़कर)।

विषय :: लगान वसूली की राशि को अविलम्ब कोषागार में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :: दिनांक 17.03.2013 को आहुत लगान वसूली से संबंधित बैठक में दिये गये निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 24.03.2013 को दूरभाष पर प्राप्त भू–राजस्व लगान वसूली एवं कोषागार में जमा राशि की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली का लक्ष्य (लाख में)	दिनांक 23.03.2013 तक प्रतिवेदित वसूली की राशि (लाख में)	आलोच्य तिथि तक कोषागार में जमा राशि (लाख में)
1	2	3		
01	किशनगंज	27.83	11.42	6.50
02	बहादुरगंज	55.67	25.00	12.50
03	ठाकुरगंज	61.24	27.78	21.14
04	पोठिया	61.24	22.70	18.57
05	टेढ़ागाछ	33.46	16.70	6.12
06	दिघलबैंक	44.53	20.25	14.23
07	कोचाधामन	66.80	19.41	19.41
	कुल	350.77	143.26	98.47

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा वसूल की गई सम्पूर्ण राशि कोषागार में जमा नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में दिनांक 17.03.2013 को राजस्व की जिला स्तर पर बैठक में निदेश दिया गया था कि साप्ताहिक रूप से लगान वसूली की राशि कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर ओदश की अवहेलना की जा रही है, जिसके फलस्वरूप लगान वसूली की राशि कोषागार में जमा नहीं होकर बैंकों में रखा गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अतः निदेश दिया जाता है कि वसूली की राशि दिनांक 25.03.2013 तक कोषागार में जमा कराते हुए इस संबंध मे विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 26.03.2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वसूली एवं कोषागार में जमा राशि के संबंध में प्रत्येक दिन एस.एम.एस के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि आप अपना, प्रधान लिपिक एवं अंचल नाजिर का स्पष्टीकरण प्रतिवेदन के साथ देना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं आदेश उल्लंघन के आरोप में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाय।

यदि निर्धारित अवधि तक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाई की जायेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित व्यक्तियों की होगी।

विश्वासभाजन,

Archana 25/3/13

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।